न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री शंकरलाल सालवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–05/2018 प्रा0प0

दिनांक 18–10–2019

उनवान

1. रंगलाल पिता दौलतराम धाकड वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर

...............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–- 1. श्री नरेन्द्रसिहं पंवार वकील प्रार्थी

:: आदेश ::

साराशं मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. प्रार्थी के आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का सुखवाडा तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 176 में अंकित आराजी नम्बर 633/23, रकबा 03 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी वर्तमान में सेटलमेन्ट होने से भू प्रबन्ध अधिकारियों ने सेटलमेन्ट किया जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर बनाये । ताईद में नकल जमाबन्दी साबिक नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

2. यह कि प्रार्थी ने उक्त आराजी नम्बर 633/23 रकबा 03 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है दौराने सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज उक्त आराजी नम्बर 633/21 रकबा 03 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर बनाते हुए बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जबकि प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ।

3. यह कि भू प्रबन्ध कर्मचारियों को केवल मात्र पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करने का अधिकार होता है फिर भी भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 633/23 रकबा बिस्वा जिसके हाल नम्बर 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात को साबिक अनुसार दर्ज कराकर दुरूस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार फरमाया जावे ।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट के साथ जवाब तलब किया गया ।

5. बरोज पेशी विपक्षी तहसीलदार भदेसर द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार कमीशनरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि :– ग्राम सुखवाडा की की साबिक जमाबन्दी संवत् 2060–2063 की खाता संख्या 176 में आराजी नम्बर 633/23 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म बाडा खातेदारी हक से प्रार्थी के दर्ज रेकार्ड थी सेटलमेन्ट पश्चात् उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई है । वर्तमान नवीन आराजी नम्बर 821 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 633 भी से बना है उपरोक्त दोनों आराजी में क्रमशः 0.02 हैक्टेयर, 0.02 हैक्टैयर कुल 0.04 हैक्टैयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पाया गया है । जो नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है । साबिक एवं वर्तमान रिकार्ड एवं कब्जे अनुसार प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 821 रकबा 0.10 हैक्टैयर में से 0.02 हैक्टैयर एवं

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर में से 0.02 हैक्टैयर कुल 0.04 हैक्टैयर भूमि किस्म बाडा दर्ज किया जाना उचित होगा ।

बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर के जांच प्रतिवेदन से साबित होता है कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 633/23 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म बाडा को भूमि प्रबन्ध के दौरान बिलानाम दर्ज कर दिया जाने से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिये जाने की त्रृटि कारित हो गई । उक्त प्रकार से राजस्व रेकार्ड में त्रृटिपूर्ण इन्द्राज हो जाने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न होकर प्रार्थी बिना किसी कारण के अपने हक अधिकार से वंचित हो गया है जबकि प्रार्थी का साबिक रेकार्ड अनुसार मौके पर आज भी कब्जा साबित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज मौजा सुखवाडा की साबिक आराजी नम्बर 633/23 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म बाडा का भूप्रबन्धीय कार्यवाही में खातेदारी से विलोपित हो जाने से साबिक कब्जे वाले भू भाग मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसी आराजी से नवीन कायम बिलानाम आराजी नम्बर 821 रकबा 0.10 हैक्टैयर में से 0.02 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 817 रकबा 2.58 हैक्टैयर में से 0.02 हैक्टैयर कुल 0.04 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हेतु पालनार्थ भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner